न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 88/2025

उनवान

जितेन्द्र सिंह बनाम नारायण सिंह

दावा बाबत उद्घोषणा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

दिनांक 12/11/26

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 55/2 रकबा 0.5564 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.5564 हैक्टेयर वाके ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का लुहारा तहसील निवाई के संबंध में उक्त भूमि को स्व0 ठाकुर नन्दसिंह की पैतृक भूमि बताकर उक्त भूमि में ठाकुर नन्द सिंह का 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से की भूमि को अपने नाम लगवाई जाने बाबत् उद्घोषणा का वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा वादी के पिता द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर के संबंध में इसी प्रकार 1/2 हिस्से में से 1/4 हक व अधिकार की उद्घोषणा बाबत् एक वाद गजेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगै0 का माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.06.2024 को प्रस्तुत किया था। जिसमें स्थगन जारी नहीं किया गया। जिससे चालाकीपूर्ण तरीके से उक्त वाद अपने पुत्र जितेन्द्र सिंह के नाम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय को भ्रमित कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। जबकि तहत कानून पिता द्वारा उद्घोषणा का वाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत कर रखा है तो पुत्र द्वारा पृथक से वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक पिता उसके द्वारा प्रस्तुत वाद में उद्घोषणा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पुत्र का कोई अधिकार उस सम्पति में नहीं बनता है इसलिए उक्त वाद तहत कानून प्रथम दृष्टया ही खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजियात खसरा नं 55/2 से ठाकुर नन्दसिंह का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही वादग्रस्त आराजियात वादी की पैतृक सम्पति है। बल्कि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के स्व0 पिता कैलाश सिंह जी थे। उक्त भूमि उनकी क्रयशुदा व कब्जेशुदा भूमि है। जिनकी मृत्यु के बाद से प्रतिवादी संख्या 02 ता 02 एकमात्र मालिक एवं स्वामी है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से उपरोक्त भमि के सम्बन्ध मे वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी का वाद मिस ज्याईण्डर ऑफ पार्टी के अभाव में खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादी को कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अधिवक्तवा वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नहीं किया गया। तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने एवं कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नहीं करने पर अधिवक्ता वादी का उक्त प्रार्थना–पत्र में जवाब बन्द किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्ष की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेशकर्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। अधिवक्ता वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

का दोहरान करते हुये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारीज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन में पाया गया है कि वादी की ओर से पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है जिसके आधार पर न्यायालय वादग्रस्त आराजियात को वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि जानकर आगे की सुनवाई कर सके। अधिवक्ता वादी को कई अवसर मिलने के वावजूद भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नहीं किया गया है एवं वहस के दौरान भी ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है जिससे न्यायालय पत्रावली में और सुनवाई कर सके। जिस धारा मे उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसका उद्देश्य आधारहीन वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय समय की बर्बादी से बचाने के लिए वाद को प्रथम स्तर पर खारिज किया जाना उचित होगा। अधिवक्ता वादी की ओर से वादकारण के सम्वन्ध में भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उक्त वाद दस्तावेजात के अभाव में एवं वादकारण के अभाव में आधारहीन प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी बाबत उद्घोषणा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 12/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)